संख्या-51/2017/2040/22-2-2016-17(28)/2005

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी छोटे सिंह पुत्र श्री उमराय सिंह, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38319/पर-2(एम013-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी छोटे सिंह पुत्र श्री उमराय सिंह, निवासी-देवकली, थाना-बण्डा, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। पूर्व में हुई भाई की हत्या के केस में नामजद अतिराज सिंह को मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने के कारण बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ दिनांक 12.10.1977 की मध्य रात्रि बन्दूक, पिस्तौल तथा भाला से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-110/1978 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 12.04-1979 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की आयु दिनांक 04.10.2016 तक 76 वर्ष 02 माह लगभग है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.10.2016 तक 26 वर्ष 10 माह 00 दिन की अपरिहार तथा 35 वर्ष 03 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा बन्दी के परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा0 जनपद न्यायाधीश, शाहजहांपुर के अभिमत के अनुसार बन्दी ने अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर निर्ममता पूर्वक 04 व्यक्तियों की हत्या की है, जिनमें 07 वर्ष का बच्चा रंजीत सिंह, 08 माह का बच्चा सुरजीत सिंह एवं 03 माह की बच्ची लाली सम्मिलित हैं। तत्काली सत्र न्यायाधीश प्रथमत: सभी अभियुक्तों को मृत्युदण्ड देना चाहते थे परन्तु आपराधिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सूत्रों को देखते हुए अभियुक्तगण को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के समयपूर्व रिहाई के बिन्दु पर स्पष्ट राय नहीं दी गयी है। सलाहकार समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी ने पूर्व में हुई भाई की हत्या के केस में नामजद अतिराज सिंह को मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त् किये जाने के कारण बन्दी ने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12.10.77 को मध्य रात्रि में बन्दूक, पिस्तौल तथा भाला से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी छोटे सिंह पुत्र श्री उमराय सिंह को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी छोटे सिंह पुत्र श्री उमराय सिंह, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-51/2017/2040/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।